राजस्थान विधान सभा
तृतीय सत्र
कार्य-सूची
शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 2009
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचना

श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(11)कोल/98 दिनांक 20.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ; एवं

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(2)कोल/99 दिनांक 20.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है ।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अलाउद्दीन आजाद, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1- राजस्व विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2007-2008 के बाहरवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का प्रथम प्रतिवेदन ;

2- खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2007-2008 के नवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन ;

3- सहकारिता विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2007-2008 के आठवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का तृतीय प्रतिवेदन ; एवं

4- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2002-2003 के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का चतुर्थ प्रतिवेदन ।

..2..

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

I- ग्राम आकोडिया (चंदवाड़) तहसील-देवली, जिला -टौंक हेतु स्थाई तौर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने बाबत् ; एवं

II- बीसलपुर सिंचाई परियोजना के ग्राम नोंदपुरा, रामपुरा तथा देवपुरा के लिये पक्के धोरे का निर्माण बाबत् ।

(2) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य विधान सभा मारवाड़ जंक्शन, जिला-पाली में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(3) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

I- शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र (जोधपुर) के धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने बाबत् ;

II- विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय बालेसर सता क्षेत्र में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-114 पर पुलिया डिवाईडर व रपट निर्माण बाबत् ; एवं

III- निर्वाचन क्षेत्र शेरगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने बाबत् ।

5. परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद

राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

एच.आर.कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 09 जुलाई, 2009